क्रम-संख्या—324

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 नवम्बर 2007

कार्तिक 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2359/79—वि०—1—07—1(क)43-2007

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 7 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 की धारा 4 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) जनप्रतिनिधियों के मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो उपाध्यक्ष।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2007) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995) की धारा 4 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन की व्यवस्था करती है। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद में जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये उनकी नियुक्ति/नाम-निर्देशन का कोई प्राविधान नहीं था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु उक्त परिषद में राज्य सरकार द्वारा दो उपाध्यक्षों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2359/LXXIX-V-1-07-1 (ka)43-2007
Dated Lucknow November 20, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007:–

THE UTTAR PRADESH STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. Act no. 34 of 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Council of Higher Education Act, 1995.

IT is hereby enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Council of Highe Education (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 7, 2007.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 22 of 1995

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education Act, 1995 *After* clause *(a)* the following clause shall be *inserted*, namely:–

"*(aa)* two Vice-Chairman to be nominated by the State Government to resolve the issues of the representatives of public."

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 22 of 2007

3-(1) The Uttar Pradesh State Council of Higher Education (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education Act, 1995 (U.P. Act no. 22 of 1995) provides for the constitution of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education, there was no provision for the appointment/nomination of public representative in the Uttar Pradesh State Council of Higher Education to represent them for solving the problems thereof. It was, therefore, decided to asserted the said Act to provide for the nomination of two Vice-Chairman by the State Government in the said Council for solving the problems of public representatives.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decession the Uttar Pradesh State Council of Higher Education (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 22 of 2007) was promulgated by the Governor on August 7, 2007

This Bill is introduced the replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–705 राजपत्र (हि०)–2007–(1722)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–362 सा० हिन्दी–2007–(1723)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।